भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .5420
25.03.2026 को उत्तर देने के लिए

दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

5420. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने विगत एक वर्ष के दौरान संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए जाने की तिथि, इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शामिल योजनाओं का व्यापक ब्यौरा और इसके अंतर्गत शामिल किए गए विभिन्न सरकारी विभागों की सूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कोई नए मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्थानीय संसद सदस्य को इन संशोधनों के बारे में औपचारिक रूप से अवगत करा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में भेजे गए पत्र-व्यवहार का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स), क्षमता विकास योजना नामक दो योजनाओं को कार्यान्वित करता है। पिछले एक वर्ष के दौरान मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अलग से कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2023 से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के सहित सभी हितधारकों पर लागू होते हैं। इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधन करके अद्यतन बनाया जाता है और आधिकारिक एमपीलैड्स वेबसाइट (www.mplads.mospi.gov.in) पर उपलब्ध कराया जाता है।

एमपीलैड योजना में केंद्रीय, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, नोडल जिला और कार्यान्वयन एजेंसी स्तर पर एक मजबूत निगरानी तंत्र है, जिसमें भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। इन भूमिकाओं

का विस्तृत विवरण एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के अध्याय 4 में दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यों को समय पर और योजना दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में स्वीकृत, निष्पादित एवं पूरा किया जाए, मंत्रालय नियमित रूप से राज्य नोडल प्राधिकारियों को सलाह जारी करता है और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों एवं जिला प्राधिकारियों के साथ मासिक और तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

निधि प्रवाह और परियोजना निगरानी के लिए ईसाक्षी पोर्टल के परिचालन के साथ, कार्यों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग ने योजना की निगरानी में पारदर्शिता और सुदृढ़ीकरण में काफी सुधार किया है। मंत्रालय प्रगति की समीक्षा करने, बाधाओं को दूर करने और योजना के कार्यान्वयन की समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है।
